

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक:- 757 /3-2 बजट (NPV)/25-26

दिनांक

09 जनवरी, 2026

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) मद में आवंटित किये गये रु 2058.37 लाख की धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0-506/3-5 दिनांक 08 जनवरी, 2025।
महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र से वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) के मानक मद-42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत रु 2058.37 लाख की धनराशि पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड www.ukcampa.org.in पर fund released section में भी अपलोड है।

अतः प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) मद के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु रु 300.00 लाख (संलग्नक-1) व रु 1758.37 लाख (संलग्नक-2) अर्थात् कुल रु0 2058.37 लाख हेतु निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें

- राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक-NA-15/4/2020-NA दिनांक 14.05.2025, पत्रांक-NA-15/4/2020-NA दिनांक 30.07.2025 एवं पत्रांक NA-15/4/2020-NA दिनांक 12.11.2025 (ई-मेल की दिनांक) (कैम्पा वेबसाईड में अपलोड) व शासकीय पत्रांक-2048/X-2-2025-12(31) 2025 (E-74356) दिनांक 30.06.2025 एवं शासकीय पत्रांक-2197/X-2-2025-12(31) 2025 (E-87865) दिनांक 19.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
- उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा-निर्देशों/शर्तों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- कैम्पा के कार्यों में किसी भी प्रकार की Dovetailing स्वीकार्य नहीं होगी।
- अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय के संबंध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 शासकीय पत्र संख्या 47/XXVII(7)32(1)/2025 दिनांक 13 अगस्त 2025 (समय-समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-287566/E-79713/(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों व समय-समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर गतिविधि का पूर्ण उल्लेख करते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
- कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंसंगत विवरण अंकित हो।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम,1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
- प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक-आर्थिक (Socio- Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।
- कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
- पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।

12. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।
13. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली-2018' में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए—
 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली-2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे; और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।
 परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रों में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

14. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।
15. कार्य को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो। स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
16. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीकरण, IWLMF एवं मृदा जल संरक्षण आदि कार्य न किया जाए।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 757 (1) /3-2 बजट (NPV)/ 2025-26 दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड को उनके पत्र संख्या 314/37-1 दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के क्रम में।
2. मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 757 (2) /3-2 बजट (NPV)/ 2025-26 दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, देहरादून, उत्तराखण्ड।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

संलग्नक-1

(Amount in lakh)

S.N.	Name Of Division	Training of staffs								
		Training workshops and Capacity Building		Training and workshops in Van Panchayats		Extension /Exposure Visits		Publication in Van Panchayats		वर्तमान में आवंटन का योग (4+6+8+10)
		भौतिक लक्ष्य (सं० में)	आवटित धनराशि	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	आवटित धनराशि	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	आवटित धनराशि	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	आवटित धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CCF Forestry Training Academy	20	57.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	57.00
2	CS ALMORA	0	0.00	12	3.00	0	0.00	0	0.00	3.00
3	PITHORAGARH	20	5.00	27	6.75	0	0.00	0	0.00	11.75
4	BAGESHWAR	13	4.00	3	1.50	0	0.00	0	0.00	5.50
5	NAINITAL	10	10.00	10	10.00	0	0.00	0	0.00	20.00
6	SC RAMNAGAR	19	3.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.80
7	SC RANIKHET	390	3.12	8	2.25	0	0.00	0	0.00	5.37
8	TARAI EAST	32	14.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14.60
9	TARAI WEST	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20.00
10	TARAI CENTRAL	9	5.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5.00
11	HALDWANI	20	12.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12.70
12	RAMNAGAR	20	12.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12.00
13	UTTARKASHI	0	0.00	4	2.00	0	0.00	0	0.00	2.00
14	NARENDRA NAGAR	10	2.50	17	2.00	5	5.00	0	0.00	9.50
15	TEHRI	2	3.00	4	2.00	0	0.00	0	2.90	7.90
16	BADRINATH	25	5.00	29	7.25	0	0.00	0	0.00	12.25
17	CS PAURI	0	0.00	24	3.60	0	0.00	0	0.00	3.60
18	SC ALAKNANDA	0	0.00	0	0.00	20	10.00	0	0.00	10.00
19	RUDRAPRAYAG	0	0.00	6	1.20	0	0.00	50	2.00	3.20
20	SC KALSI	27	2.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.70
21	LANSDOWNE SC	7	1.50	14	2.10	10	4.00	0	0.00	7.60
22	LANSDOWNE	20	5.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5.00
23	HARIDWAR	8	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.00
24	DEHRADUN	16	4.00	8	2.00	8	5.00	0	0.80	11.80
25	UPPER YAMUNA	40	5.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5.00
26	CHAKRATA	10	5.00	6	2.10	0	0.00	0	0.00	7.10
27	TONS DIVISION	10	3.00	0	0.00	25	5.00	0	0.00	8.00
28	RAJAJI N. P.	16	5.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5.60
29	GOVIND WLS	7	3.68	9	1.35	0	0.00	0	0.00	5.03
30	GANGOTRI N. P.	3	3.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.00
31	CORBETT T. R.	13	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10.00
32	KEDARNATH	5	8.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8.00
	Total	773	216.20	181	49.10	68	29.00	50	5.70	300.00

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड कैम्पा

संलग्नक-2

(Amount in lakh)

S.N.	Name Of Division	Forest Landscape Restoration (FLR)		Third Party monitoring and evaluation	
		भौतिक लक्ष्य	आवंटित धनराशि	भौतिक लक्ष्य	आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	CCF Monitoring & Evaluation, IT Cell		0.00	1. IIFM Bhopal के द्वारा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक कि अवधि के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य की अवशेष धनराशि रू0 47.21 लाख।	150.00
2	ALMORA	वित्तीय वर्ष 2024-25 में समिति द्वारा अनुमोदित 10 वर्षीय प्रस्ताव के अनुसार प्रभाग द्वारा वर्ष	0.00		0.00
3	CS ALMORA		35.00		0.00
4	PITHORAGARH		36.70		0.00
5	CHAMPAWAT		16.45		0.00
6	BAGESHWAR	2025-26 हेतु प्रस्तावित कार्य सम्पादित किये जाने हैं।	38.00	2- वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक के अवधि का तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य-रू0 102.79 लाख	0.00
7	NAINITAL		67.60		0.00
8	SC RAMNAGAR		0.00		0.00
9	SC RANIKHET		0.00		0.00
10	SC NAINITAL		0.00		0.00
11	TARAI EAST		37.00		0.00
12	TARAI WEST		50.00		0.00
13	TARAI CENTRAL		50.00		0.00
14	HALDWANI		47.75		0.00
15	RAMNAGAR		30.00		0.00
16	SC UTTARKASHI		50.00		0.00
17	UTTARKASHI		48.05		0.00
18	TEHRI DAM1		45.00		0.00
19	TEHRI DAM2		17.00		0.00
20	NARENDRA NAGAR		55.80		0.00
21	TEHRI		40.44		0.00
22	CS PAURI		0.00		0.00
23	BADRINATH		0.00		0.00
24	GARHWAL		33.05		0.00
25	SC ALAKNANDA		0.00		0.00
26	RUDRAPRAYAG		35.05		0.00
27	SC LANSDOWNE		0.00		0.00
28	SC KALSI		30.00		0.00
29	LANSDOWNE SC		0.00		0.00
30	LANSDOWNE		50.00		0.00
31	HARIDWAR		73.00		0.00
32	DEHRADUN		90.00		0.00
33	UPPER YAMUNA		31.75		0.00
34	CHAKRATA		45.00		0.00
35	MUSSOORIE		64.75		0.00
36	TONS DIVISION		7.75		0.00
37	RAJAJI N. P.		29.00		0.00
38	GOVIND WLS		36.70		0.00
39	GANGOTRI N. P.		40.00		0.00
40	KALAGARH T. R.		20.00		0.00
41	CORBETT T. R.		0.00		0.00
42	NANDADEVI N. P.		30.70		0.00
43	KEDARNATH		0.00		0.00
	Total		1281.54		150.00

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड कैम्पा

(Amount in lakh)

S.N.	Name Of Division	SMC structures - Treatment of Streams		Forest fire prevention and control operations		कुल आवंटित धनराशि (4+6+8+10)
		भौतिक लक्ष्य	आवंटित धनराशि	भौतिक लक्ष्य	आवंटित धनराशि	
1	2	7	8	9	10	11
1	CCF Monitoring &		0.00		0.00	150.00
2	ALMORA		0.00		0.00	0.00
3	CS ALMORA		0.00		0.00	35.00
4	PITHORAGARH		0.00		0.00	36.70
5	CHAMPAWAT		0.00		0.00	16.45
6	BAGESHWAR		0.00		0.00	38.00
7	NAINITAL		0.00		0.00	67.60
8	SC RAMNAGAR		0.00		0.00	0.00
9	SC RANIKHET		0.00		0.00	0.00
10	SC NAINITAL	कुनिकानाला-20.50 लाख, बानना गधेरा-21.93 लाख, मनसा नाला-20.66 लाख, जंगलियागांव नाला-20.12 लाख, धारी उल्गौर नाला-21.87 लाख, बेडुली नाला- 20.53 लाख	125.61		0.00	125.61
11	TARAI EAST		0.00		0.00	37.00
12	TARAI WEST		0.00		0.00	50.00
13	TARAI CENTRAL		0.00		0.00	50.00
14	HALDWANI		0.00		0.00	47.75
15	RAMNAGAR		0.00		0.00	30.00
16	SC UTTARKASHI		0.00		0.00	50.00
17	UTTARKASHI		0.00		0.00	48.05
18	TEHRI DAM1		0.00		0.00	45.00
19	TEHRI DAM2		0.00		0.00	17.00
20	NARENDRA NAGAR		0.00		0.00	55.80
21	TEHRI		0.00	174 फायर श्रमिक	26.00	66.44
22	CS PAURI		0.00		0.00	0.00
23	BADRINATH		0.00		0.00	0.00
24	GARHWAL		0.00		0.00	33.05
25	SC ALAKNANDA	डोबा गधेरा/नाला-31.89 लाख, बंगथल गेदेरा/नाला- 31.05 लाख, मलोठ नाला-41.87 लाख, खालीगाड नाला-38.52, भैरव गदेरा/नाला-31.89 लाख	175.22		0.00	175.22
26	RUDRAPRAYAG		0.00		0.00	35.05
27	SC LANSDOWNE		0.00		0.00	0.00
28	SC KALSİ		0.00		0.00	30.00
29	LANSDOWNE SC		0.00		0.00	0.00
30	LANSDOWNE		0.00		0.00	50.00
31	HARIDWAR		0.00		0.00	73.00
32	DEHRADUN		0.00		0.00	90.00
33	UPPER YAMUNA		0.00		0.00	31.75
34	CHAKRATA		0.00		0.00	45.00
35	MUSOORIE		0.00		0.00	64.75
36	TONS DIVISION		0.00		0.00	7.75
37	RAJAJI N. P.		0.00		0.00	29.00
38	GOVIND WLS		0.00		0.00	36.70
39	GANGOTRI N. P.		0.00		0.00	40.00
40	KALAGARH T. R.		0.00		0.00	20.00
41	CORBETT T. R.		0.00		0.00	0.00
42	NANDEVI N. P.		0.00		0.00	30.70
43	KEDARNATH		0.00		0.00	0.00
	Total		300.83		26.00	1758.37

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड नैपामा

संख्या: 506/3-5 (कैम्पा-वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य)

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक ०४ जनवरी, 2026

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में वन विभाग की अनुदान सं०-27 के लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-04-वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" के अन्तर्गत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा परियोजना हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

- संदर्भ :-
1. शासनादेश संख्या-2048/X-2-2025-12(31)2025(E-74356) दिनांक 30 जून, 2025 अलॉटमेंट आई.डी. 25060270014 दिनांक 30.06.2025 - आवंटित बजट ₹36,90,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
 2. शासनादेश संख्या-2197/X-2-2025-12(31)2025(E-87865) दिनांक 19 सितम्बर, 2025 अलॉटमेंट आई.डी.-S25090270007 दिनांक 19.09.2025 - आवंटित बजट ₹1,06,60,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
 3. शासनादेश संख्या-2927/X-2-2025-12(31)2025(E-87865) दिनांक 03 सितम्बर, 2025 अलॉटमेंट आई.डी.-S25120270003 दिनांक 03.12.2025 - आवंटित बजट ₹83,17,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या-27, लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-04-वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" योजनान्तर्गत प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹ 2,26,67,00,000/- (₹ दो अरब छब्बीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी बजट ₹1,68,69,62,899/- (₹ एक अरब अड़सठ करोड़ उनहत्तर लाख बासठ हजार आठ सौ निन्यानवे मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में अवमुक्त/जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹ 20,58,37,000/- (₹ बीस करोड़ अठ्ठावन लाख सैंतीस हजार मात्र) को IFMS पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता है:-

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्राविधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या-NA-15/4/2020-NA दिनांक 14.05.2025 एवं पत्र संख्या- NA-15/4/2020-NA दिनांक 30.07.2025 द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जाए।
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।
4. आवंटित धनराशि व्यय/आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाए।
5. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

-2/-

--(2)--

6. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 (समय-समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-287566/E-79713/9(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. प्रत्येक माह के मासिक व्यय विवरण/बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल से आगामी माह की 05 तारीख तक कर बी0एम0 4/मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

Digitally signed by
HEMENDRA PRAKASH GANGWAR
Date: 08-01-2026 23:56:00
(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्या: 506/3-5 (कैम्पा-वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य) तददिनांकित।
प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमाऊँ तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षकों/निदेशकों को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों/पार्कों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना/नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
8. समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को IFMS पोर्टल से ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त बजट को कोषागार डाटाबेस/मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।
9. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई.टी एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक